VII

स्कूल-पूर्व शिक्षा

7.1 स्कूल-पूर्व शिक्षा -परिचय

स्कूल-पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.), स.बा.वि.से. योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका लक्ष्य तीन से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आं.के. में अनौपचारिक और आनंदमय गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में स्कूली शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और स्कूल जाने की इच्छा में विकास करना है। स्कू.पू.शि. का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को सुदृढ़ बनाना है।

7.2 व्याप्ति

इस योजना ने सभी पात्र बच्चों का स्कू.पू.शि. के लिए नामांकन को अधिदेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसम्बर 2006) स.बा.वि.से. के अंतर्गत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ स्कू.पू.शि. को भी सार्वभौमिक किए जाने के निर्देश दिए।

2006-11 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर स्कू.पू.शि. के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 7.1: स्कू.पू.शि. लाभार्थियों की सं. (आँकड़े करोड़ में)

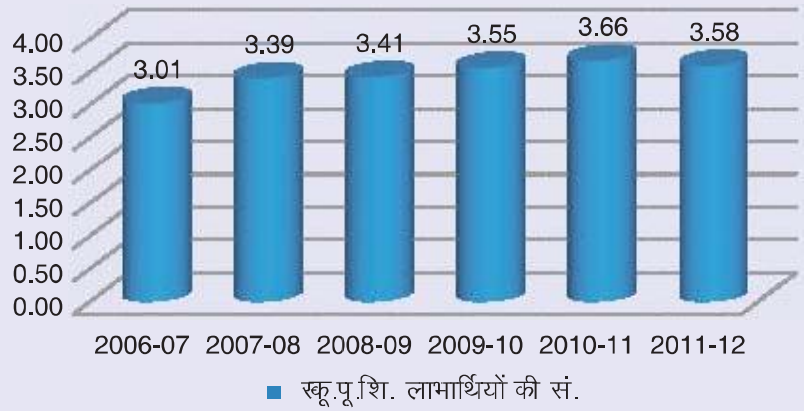

तथापि, लेखापरीक्षा व्याप्ति की सीमा का पता नहीं लगा पाई क्योंकि मंत्रालय के पास पात्र लाभार्थियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यह मंत्रालय द्वारा इस घटक की अपर्याप्त मॉनीटरिंग दर्शाता है।

मंत्रालय (जुलाई 2012) ने बताया कि स्कू.पू.शि. के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों के आंकड़े राज्य, जिला, परियोजना और आं.के.के स्तरों पर अनुरक्षित किए जा रहे थे।

यह मार्च 2012 से लागू संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली फॉर्मेट के अंतर्गत 2012-13 से मंत्रालय में अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

7.2.1 चयनित राज्यों में व्याप्ति

राज्य सरकारें योजना के अंतर्गत परिकल्पित स्कू.पू.शि. सहित विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित राज्यों में स्कू.प.शि. के लाभार्थियों की व्याप्ति में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कमी पाई गई। चयनित राज्यों में से चार के लाभार्थियों की व्याप्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 7.1 राज्यों में स्कू.पू.शि. के लाभार्थियों का विवरण

(आंकड़े लाखों में)

राज्य का नाम	पात्र लाभार्थियों की संख्या[1]	वास्तविक लाभार्थियों की संख्या	*कमी (प्रतिशत)*
आन्ध्र प्रदेश	98.65	93.38	5.27 (**6**)
गुजरात	17.67	13.46	4.21 (**24**)
हरियाणा	32.95	21.22	11.73 (**36**)
मेघालय	8.46	6.98	1.48 (**18**)

ओड़ीशा में, 2006-11 के दौरान कमी की प्रतिशतता बढ़ कर 13.64 *प्रतिशत* हो गई। हालांकि, राज्य में कुल रूप से 2007-08 में 13.64 *प्रतिशत* से 2010-11 में 8.56 *प्रतिशत* होने से कमी में समग्र गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई। राजस्थान में, 28 से 39 *प्रतिशत* तक की कमी पाई गई। छत्तीसगढ़ में 36,103 संचालित आं.के. में से 1,003 में लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल में, 1,09,888 आं.के. में से 7,460 केन्द्रों में एक महीने में से कम से कम 21 दिनों के लिए स्कू.पू.शि. प्रदान नहीं की जाती।

7.2.2 नमूना जाँच किए गए आं.के. के लाभार्थियों की व्याप्ति

झारखंड को छोड़कर चयनित राज्यों के नमूना जाँच किए आं.के. लाभार्थियों की व्याप्ति की स्थिति को तालिका 7.2 में दिया गया है:

तालिका 7.2 आं.के. के लाभार्थियों की व्याप्ति

राज्य का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक लाभार्थियों की संख्या	कमी *(प्रतिशत)*
गुजरात	31,379	22,578	8,801 (28)
हरियाणा	22,726	18,242	4,484 (20)
मेघालय	25,357	21,811	3,546 (14)
ओडीसा	28,326	23,281	5,045 (19)

[1] पूरा राज्य

राजस्थान	40,689	31,505	9,184 (23)
उत्तर प्रदेश	1,04,044	71,664	32, 380(31)
पश्चिम बंगाल	36, 782	30,647	5,635 (16)

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं कर्नाटक, में संपूर्ण नमूना जाँच किए गए आं.के. में स्कू.पू.शि. प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश में, 280 नमूना जांच किए गए आं.के. में किसी में भी स्कू.पू.शि. प्रदान नहीं की गई थी।

7.2.3 अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (आं.का.) से स्कू.पू.शि. लाभार्थियों तथा आवश्यक संबंधित अभिलेखों के डाटाबेस का अनुरक्षण करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह राज्यों (बिहार, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा गुजरात) में संपूर्ण नमूना जांच किए गए आं.के. के लाभार्थियों का डाटाबेस अनुरक्षित था। तथापि, शेष राज्यों में 80 से 83 *प्रतिशत* आं.के. में स्कू.पू.शि. लाभार्थियों का डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, 10 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में संपूर्ण नमूना जांच किए गए आं.के. में स्कू.पू.शि. से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित थे। शेष राज्यों में 2006-11 के दौरान 22 *प्रतिशत* आं.के. में इस संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसका विवरण **अनुबंध 7.1** में दिया गया है।

डाटाबेस और अभिलेखों की अनुपस्थिति में, स्कू.पू.शि. में प्रदत्त सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। यह मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

7.3 स्कूल पूर्व शिक्षा किटों पर व्यय में कमी

वार्षिक आधार पर राज्य/सं.शा.क्षे. के स्तर पर आं.के. के लिए स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति तथा वितरण के लिए स.बा.वि.से. ने दिशानिर्देश (जुलाई 2000) निर्धारित किए। आं.के. को समय पर किट उपलब्ध कराने में तथा प्रक्रिया को कारगर बनाने के उद्देश्य से अधिप्राप्ति का विकेन्द्रीकरण आवश्यक था। मंत्रालय ने राज्यों/सं.शा.क्षे. को किटों की अधिप्राप्ति के लिए धनराशि ₹500 प्रति क्रियाशील आं.के. की दर (2009-10 से प्रभावी 1000 प्रति किट पर वर्धित) किया था।

मंत्रालय के पास उपलब्ध 20 राज्यों के व्यय विवरण से 2006-11 की अवधि के दौरान स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति में धनराशि के खर्च में उल्लेखनीय कमी पाई गई।

विवरण नीचे दिया गया है राज्यवार विवरण (**अनुबंध 7.2**) में दिया गया है:

तालिका 7.3: स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति पर हुए व्यय में कमी

वर्ष	राज्य जहाँ कमी 100 *प्रतिशत* थी	राज्य जहाँ कमी 30 से 99 *प्रतिशत* थी
2006-07	गुजरात, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल **(4)**	दिल्ली-98 *प्रतिशत*, कर्नाटक-49 *प्रतिशत*, बिहार-83 *प्रतिशत*, पंजाब-73 *प्रतिशत*, केरल-31 *प्रतिशत* **(5)**
2007-08	दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश और पंजाब **(6)**	मणिपुर,-36 *प्रतिशत* **(1)**
2008-09	दिल्ली गोवा हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड **(8)**	*कर्नाटक-42 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-95 प्रतिशत* **(2)**
2009-10	बिहार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडीशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश**(9)**	*असम-32 प्रतिशत, पंजाब-56 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-99 प्रतिशत* **(3)**
2010-11	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, झारखंड, और ओडीशा **(5)**	*पंजाब-74 प्रतिशत, उत्तराखंड-47 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल-41 प्रतिशत* **(3)**

ऊपर दिए गए विवरण से यह देखा जा सकता है कि झारखंड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गोवा और उत्तराखंड ने इस अवधि के दौरान स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति पर लगातार धनराशि व्यय नहीं की थी।

नमूना राज्यों की लेखापरीक्षा नमूना जांच से आं.के. में स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति में कमियाँ और विलम्ब दर्शाता है, जैसा कि नीचे तालिका 7.4 में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 7.4: स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति पर राज्य-विशिष्ट निष्कर्ष

(करोड़ रू. में)

राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	*राशि*
आन्ध्र प्रदेश	विभाग द्वारा स्कू.पू. किटों की अधिप्राप्ति क्रियाशील आं.के. की बजाय सभी स्वीकृत आं.के. के लिए तथा वर्ष की शुरूआत में शेष स्टाक पर ध्यान दिए बिना की जा रही है। प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अधिक अधिप्राप्ति अनुपयोगी सिद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹48.38 लाख की कीमत की 9,263 किट की आधिक्य भंडारण में पड़ा हुआ है (मार्च 2012)। विभाग ने बताया (मार्च 2012) कि स्कूल पूर्व किटों की अधिप्राप्ति सभी स्वीकृत आं.के. के लिए यह मानते हुए की गई थी कि सभी स्वीकृत आं.के. का पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रियाशील होंगे। उत्तर यह स्थापित करता है कि अधिप्राप्तियां बिना उचित आंकलन के ही की गई थी।	***0.48***
गुजरात	2008-11 के दौरान चयनित जिलों को आं.के. में स्कू.पू.शि. किट के क्रय के लिए ₹2.36 करोड़ की दर पर धनराशि उपलब्ध कराई गई थीं। 16 परियोजनाओं में नमूना जांच से पता लगा कि स्कू.पू.शि. किट की अधिप्राप्ति दो से पांच वर्षों में केवल एक ही बार की गई। दो परियोजनाओं में कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई थी। जबकि पांच परियोजना कार्यालयों ने स्कू.पू.शि. किट की	***11.38***

राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	राशि
	अधिप्राप्ति का व्यय विवरण प्रदान नहीं किया था। किटों की गैर-अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹11.38 करोड़ (2008-11) की सरकारी धनराशि जिला/प्रखंड पंचायतों के व्यक्तिगत बही खातों (व्य.ब.खा.) में पड़ी रही।	
हरियाणा	2006-11 के दौरान स्कू.पू.शि. किट की अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम धनराशि के आहरण के बावजूद, आं.के. में किटों की आपूर्ति में 11 से 28 महीनों का अत्याधिक विलंब पाया गया। इन विलंबों के लिए निदेशालय द्वारा मामलों की विलंबित प्रसंस्करण और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किटों की छपाई में विलंब को जिम्मेदार ठहराया गया था। निदेशालय द्वारा किटों के विषय वस्तुओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण 2008-09 के दौरान कोई भी किट की अधिप्राप्ति नहीं हो पाई।	
झारखंड	2006-11 के दौरान स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए ₹7.65 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2012) तक कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया गया था तथा 2006-11 के दौरान कोई स्कू.पू.शि. किट आं.के. में वितरित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप योजना के स्कू.पू.शि. घटकों का अपरिदान हुआ।	***7.65***
उत्तर प्रदेश	• 2006-07 और 2007-08 वर्षों के दौरान क्रियाशील आं.के[2] के लिए किटों की आपूर्ति के आदेश अधिकता में दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान 2297 और 6026 किटों की क्रमशः अत्यधिक अधिप्राप्ति ₹38.57 लाख परिहार्य व्यय का कारण बनी। • अत्यधिक अधिप्राप्ति के बावजूद, वर्ष 2010-11 के दौरान क्रियाशील 50726 आं.के. तथा 14686 लघु आं.के. की कोई किट की आपूर्ति नहीं की गई थी। • स्कूल-पूर्व किटों की आपूर्ति के समझौते ज्यादातर वर्ष के अंत में अर्थात् 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः जनवरी 2007 और जनवरी 2008 में निष्पादित किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि का स्थानांतरण उ.प्र. समाज कल्याण निगम के व्य.ब.खा. में हो गया। • सभी वर्षों में (2006-11) तीन से नौ महीनों तक आपूर्ति विलंबित की गई थी।	***0.39***
मेघालय	निदेशालय द्वारा स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए मार्च 2010 में ₹68.94 लाख की राशि निकाली गई थी परन्तु उसका '8443-सिविल जमा में' स्थानान्तरण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 महीनों के विलंब के पश्चात अगस्त 2011 में किटों की अधिप्राप्ति की गई थी। इसी प्रकार से, 2010-11 में स्कू.पू.शि. किटों की खरीदारी के लिए ₹71.97 लाख चिन्हित थे परन्तु मार्च 2012 तक किटों की अधिप्राप्ति नहीं की गई थी।	
मध्य प्रदेश	मंत्रालय द्वारा स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित धनराशि का प्रावधान होने के बावजूद 2007-10 के दौरान आं.के. को स्कू.पू.शि. किट प्रदान नहीं की गई।	
ओडीशा	2.45 लाख स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति हेतु ₹18.52 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध 2006-11 के दौरान ₹6.04 करोड़ प्रदान किए गए थे। यह राशि केवल 1.21 लाख किटों की अधिप्राप्ति के लिए पर्याप्त थी जिसके बचाव से	

[2] परिचालित आं.के. 2006-07 119538 और 2007-08 119595

राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन	राशि
	1.24 लाख किटों की कमी हो गई।	
राजस्थान	2008-09 के दौरान 32 जिलों में आ.के. में वितरण हेतु 48,363 स्कू.पू.शि. किटों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश (फरवरी 2009) जारी किया गया था। तथापि, मार्च 2009 में फर्म द्वारा केवल 42,838 किटों की आपूर्ति की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 5525 आं.के. में किटों की आपूर्ति नहीं हुई। अलवर जिले में 2575 आं.के. में कोई भी किट उपलब्ध नहीं करवाई गई।	

यह तथ्य कि राज्य सरकारों का निधि की उपलब्धता होने के बावजूद स्कू.पू.शि. किटों की आवश्यक संख्या को अधिप्राप्त करने में निष्फल होना यह दर्शाता है कि इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ तथा लाभार्थी अभिप्रेत उपयोग से वंचित रह गए।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. से बार-बार स्कू.पू.शि. किटों की अधिप्राप्ति पर खर्च न हुए व्यय के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस मुद्दे को समीक्षा बैठकों तथा राज्य दौरा/निरीक्षण के दौरान उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से, स्कू.पू.शि. किट सहित कार्यक्रम घटकों की संपूर्ण लागत को अनुदान की दूसरी किस्त में सम्मिलित कर दिया गया था ताकि राज्य इन मदों की अधिप्राप्ति अव्यस्थित तरीके से करने के बजाय तदनुसार अधिप्राप्ति कर पाए।

7.4 चयनित आं.के. में स्कू.पू.शि. किटों का उपलब्ध न होना

सकारात्मक विकास

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय और पश्चिम बंगाल में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सभी नमूना जांचित आ.के. में स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध कराई गई तथा उनका उपयोग किया गया था।

राज्यों का स्कू.पू.शि. किटों की वार्षिक आधार पर अधिप्राप्ति में निष्फलता का सीधा असर आं.के. में इसकी उपलब्धता पर पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखंड और गुजरात में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी नमूना जांच किए आं.के. में स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध नहीं थीं। आगे मध्य प्रदेश में, 280 नमूना जांच किए आं.के. में 40 से 217, ओडीशा में, 200 नमूना जांचित आं.के. में 97 से 160 आं.के., राजस्थान में, 240 नमूना जांच किए आं.के. में 11 से 30 तथा उत्तर प्रदेश में, 309 नमूना जांच किए आं.के. में 29 से 130 में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्कू.पू.शि. किट उपलब्ध नहीं थीं। नमूना जांच किए आं.के. में स्कूल-पूर्व किटों की उपलब्धता का राज्यवार विवरण **अनुबंध 7.3** में दिया गया है।

अनुशंसा

राज्यों/सं.शा.क्षे. के स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों के अधिप्राप्ति के लिए जारी निधि के अतिरिक्त, मंत्रालय को इस धनराशि के समय पर उपयोग और आं.के. को इन किटों की पर्याप्त आपूर्ति की प्रगति की मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

7.5 स्कू.पू.शि. के अंतर्गत गतिविधियां

योजना ने आं.का. के लिए कर्तव्यों की सूची निर्धारित की जिसमें अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लाभार्थियों का विभिन्न गतिविधियों में लगाना शामिल हैः

- शारीरिक और गत्यात्मक विकास के लिए अभ्यास, भाषा विकास जैसे कि वार्तालाप-पूर्व, कहानी सुनाना, शब्दावली निर्माण,
- रचनात्मकता और कल्पना का विकास, समूह गतिविधियां, लेखन-पूर्व गतिविधियां जैसे की चित्रकला और स्वरूप-बनाना, पूर्व-संख्या धारणाएं जैसे ज्यादा और कम, मोटा और पतला, दूर और पास के बीच का अंतर, और
- गुडिया/खिलौनों से खेलना, भूमिका का निर्वाह और उसके/ उसकी वस्तुओं का अन्य सहपाठियों के साथ सहभाजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, वस्तुओं की पहचान इत्यादि।

2699 आं.के. की नमूना जांच से स्कू.पू.शि. के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां उजागर हुईः

- 575 से 819 आं.के. ने लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. प्रदान करते समय अधिदेशित गतिविधियों को आयोजित नहीं किया था। इन गतिविधियों की अनुपस्थिति झारखंड और मध्य प्रदेश (सभी नमूना जांच किए आं.के.) में प्रबल थी जबकि, उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा नमूना जांच किए आं.के. में यह गतिविधियां कभी हुई ही नहीं थी।
- 787 आं.के. के पास स्कू.पू.शि. के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं था। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सभी नमूना जांच किए आं.के. में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था। हरियाणा, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात के राज्यों में पाठ्यक्रम निर्धारित था।
- झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में स्थित 467 आं.के. के आं.का. को स्कूल-पूर्व के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

  राज्यवार विवरण **अनुबंध 7.4** में दिया गया है।

7.6 औपचारिक शिक्षा के लिए लाभार्थियों को मुख्यधारा में लाना

स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्कू.पू.शि. प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक-स्कू.पू.शि. के पूर्ण होने पर बच्चों को मुख्यधारा में लाना था। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं (आं.का.) से यह अपेक्षित था कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्कू.पू.शि. के

पूरा होने पर आं.के. के सभी बच्चे औपचारिक शिक्षा से जुड़े आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) से यह भी अपेक्षित था कि वह स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से समन्वय स्थापित करें ताकि आंगनवाड़ी स्कूल-पूर्व के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में पारगमन एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो।

आं.का से यह भी अपेक्षित था कि वह विद्यालय जाने योग्य बच्चे जो कि औपचारिक शिक्षा से जुड़ने वाले हैं, उनसे संबंधित डाटा/अभिलेखों का अनुरक्षण करें।

सकारात्मक विकास

मेघालय और गुजरात में सभी योग्य बच्चों ने औपचारिक शिक्षा में प्रवेश ले लिया था।

तथापि, चयनित राज्यों में योग्य स्कू.पू.शि. के औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी पाई गई जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में समझाया गया है:

- 2006-11 के दौरान पांच राज्यों में जिन बच्चों ने औपचारिक शिक्षा में वास्तविक रूप से प्रवेश लिया उनकी संख्या में कमी सात और 25 *प्रतिशत* के बीच में रही। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.5 नमूना जांच किए गए आं.के. में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों में कमी

राज्य	औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने योग्य	औपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए	कमी (*प्रतिशत*)
आन्ध्र प्रदेश	45119	38184	6935(15)
छत्तीसगढ़	8932	6705	2227(25)
ओड़ीशा	7063	5610	1453(21)
राजस्थान	7909	5500	2409(30)
कर्नाटक	16977	15728	1249(7)
कुल	**86000**	**71727**	**14273(17)**

राज्यवार डाटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि अधिकतर कमी राजस्थान (30 *प्रतिशत*), छत्तीसगढ़ (25 *प्रतिशत*) और ओडिशा (21 *प्रतिशत*) में थी। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की स्थिति कर्नाटक में थोड़ी बेहतर थी जिसने केवल सात *प्रतिशत* की कमी रिपोर्ट की थी।

चार राज्यों (छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और कर्नाटक) में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले लाभार्थियों की जानकारी आ.के.या परियोजना स्तर पर उपलब्ध थी। तथापि, सूचना इन राज्यों में जिला कार्यक्रम कार्यालय (जि.का.का.) या राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

मामला अध्ययनः कर्नाटक में औपचारिक शिक्षा मे प्रवेश लेने वाले स्कू.पू.शि. लाभार्थियों की संख्या में अंतर

राज्य नोडल विभाग साथ ही जि.का.का. ने बैलारी, चिकमगलूर, मंडया और उत्तर कन्नड़ में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले आं.के. के योग्य बच्चों के डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। मंडया, चमराजनगर तथा उत्तर कन्नड़ जिलों के आं.के. ने औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र बच्चों में 100 *प्रतिशत* उपलब्धि रिपोर्ट की, जबकि बेलगाम, चिकमगलूर और रायचूर के आं.के. द्वारा प्रस्तुत सूचना में पात्र बच्चों की संख्या तथा वास्तविकता में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लिए जाने वालों के बीच में भारी अंतर पाया गया। इन जिलों में, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र बच्चों की संख्या बच्चों से या तो बहुत अधिक थी या फिर बहुत कम थी। स्कूल-पूर्व शिक्षा घटक के लाभों का आंकलन आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बीच की कड़ी की अनुपस्थिति तथा इस घटक के अंतर्गत आधारभूत अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण नहीं हो पाया।

बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के शेष राज्यों में आंगनवाड़ी में औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र और वास्तविक लाभार्थियों से संबंधित अभिलेख या डाटा, आंगनवाडी, परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। इन अभिलेखों या डाटा की अनुपस्थिति में, अनौपचारिक स्कू.पू.शि. के पूरा होने के पश्चात बच्चों का मुख्यधारा में आना, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा

- ***औपचारिक शिक्षा में स्कूल पूर्व शिक्षा लाभार्थियों को मुख्यधारा में लाने में कमी के कारणों को मंत्रालय को तर्कसंगतता से जांचना तथा संबोधित करना चाहिए। इसे निर्धारित प्रतिमान जिसमें लगातार कमी थी उसके व्यय में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए और स्कूल-पूर्व बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में पारगमन सुनिश्चित करना चाहिए।***